रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-212/2021/2417/22-2-2-2021-17(866)/2021

लखनऊ:दिनांक: 02 दिसम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचन्द्र (बन्दी संख्या-79/2007) पुत्र श्री गिरवरलाल, निवासी-भूपपुरवा कस्बा गोविंदापुर, थाना-भीरा, जनपद-लखीमपुर खीरी को कारागार से मुक्त करने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-204/2021/2074/22-2-2021-17(866)/2021 दिनांक 03 नवम्बर, 2021 (प्रति संलग्न) के फार्म-घ(डी) की अष्टम पंक्ति में अंकित "कैदी का अभिभावक बन्दी के पुत्र श्री इन्द्रजीत" के स्थान पर "कैदी का अभिभावक बन्दी के भाई श्री रमाकान्त पुत्र श्री गिरवर लाल" पढ़ा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 03-11-2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

संलग्नक-यथोक्त।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-212/2021/2417(1)/22-2-2021 तद्दिनांक---

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी को उनके पत्र संख्या-1315/ए0आर0/2021, दिनांक 25.11.2021 के सन्दर्भ में ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।